

## प्रथम पृष्ठ— भूमिका

- 1.1 कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले (सूचना का अधिकार अधिनियम-2005)  
नोट:- प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकारों का संरक्षण :- वैधानिक रूप से किये जाने के परिपेक्ष्य में अधिनियमित किये गए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 सहपटित सूचना का अधिकार नियम के प्रावधानों की पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय विभाग की समस्त सूचनाओं कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी तथा उनसे संबंधित समस्त अभिलेखों, प्रतिवेदन, नमूनों, माडलो, आंकड़ों तक को आम नागरिकों की पहुँच आसान बनाना।
- 1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य :-  
नोट:- विन्दु क 1.1 में उल्लिखित विभागीय सभी सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध/प्रकाशित कराना।
- 1.3 यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है।  
नोट:- सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित उन सभी व्यक्तियों तथा योजनाओं के संचालक/स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों, स्थानीय शासन/प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी है
- 1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप :- सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित है।
- 1.5 परिभाषाएं ( कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गई शब्दावली को परिभाषित करे :-  
नोट:- धारा, नियम, प्रावधान से अभिप्राय लागू, उल्लेखित अधिनियम, नियमों में परिभाषित धारा, नियम एवं प्रावधानों से है।
- 1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारी के लिए संपर्क व्यक्ति।  
नोट:- जिला स्तर - उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय /मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/कलेक्टर
- 1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।
- (1.) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 एवं 7 के उपबंधों में विहित रीति आवेदन शुल्क 10 प्रतिलिपि 2.00 ए-4
- (2.) निरीक्षण /अवलोकन 50 रुपये आगे प्रति 15 मिनिट के अनुसार 25 रुपये अतिरिक्त
- (3.) बी0पी0एल वाले कमांक लिखे आवेदन शुल्क निरंक
- (4.) जानकारी फोटों कापी के अलावा मागने पर सी0डी0 एवं प्लापी में भी देना अनिवार्य है
- (5) आवेदन मंजूर न होने पर 2 स्तर पर अपील की व्यवस्था प्रथम 50 रुपये द्वितीय 100 रुपये अपील फीस अपील का फैसला/निपटारा क्रमशः 50-90 दिनों में इसके बाद न्यायालय में जा सकेगा



### अध्याय-3 (मैनुअल-2)

#### अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य,

- 3.1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराए पद का नाम:-उपसंचालक सामाजिक न्याय सिवनी

शक्तियाँ	<p>प्रशासकीय</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा नियम 1997 में प्राप्त शक्तियों का क्रियान्वयन</li> <li>2- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग</li> <li>3- म.प्र.निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं नियम 1999 का क्रियान्वयन</li> <li>4- अशासकीय संस्थाओं को मान्यता/अनुदान की कार्यवाही</li> </ol> <p><b>वित्तीय</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 एवं भाग 2 के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग</li> </ol>
कर्तव्य	<p>अन्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपरोक्त अधिनियमों में विभागीय प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा अधिकार क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न कठिनाईयों का निरकारण</li> <li>2. विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का जिला स्तर पर संचालन,पर्यवेक्षण ,मार्गदर्शन करना</li> <li>3. समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण तथा मार्गदर्शन आदि</li> <li>4. कर्मचारियों पर नियंत्रण।</li> </ol>

### अध्याय -4 (मैनुअल -3)

#### कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- 4.1. लोक प्रधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख को सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराए। यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने (नियम,विनियम,अनुदेशिका,अभिलेख, अन्य)	अभिलेख का संक्षिप्त विवरण
अधिकारी/कमचारी की स्थापन संबंधी अभिलेख	नियम,विनियम,अनुदेशिका	कार्यालयीन अमले की सेवा अभिलेख एवं वेतन भत्ते अवकाश एवं सभी स्वत्वों संबंधी अभिलेख।
लेखा		विभागीय अमले तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमो,गतिवधियों से संबंधित बजट,आबंटन,व्यय से संधारित अभिलेख
निःशक्त कल्याण तथा समाज कल्याण के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से संबंधित अभिलेख	नियम	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा नियम 1997 में प्राप्त शक्तियों का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग म.प्र.निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं नियम 1999 का क्रियान्वयन अशासकीय संस्थाओं को मान्यता/अनुदान की कार्यवाही तथा राष्ट्रीय एवं समाज कल्याण/निःशक्त कल्याण के अंतर्गत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, के अंतर्गत एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का क्रियान्वयन संबंधी अभिलेख

नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख को प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं।

पता : कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय जिला सिवनी

दूरभाष : 07692-228005

फैक्स :- 228005

ई.मेल : pswseo@mp.nic.in

अन्य : नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख और

अभिलेख को प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

### अध्याय-5 (मैनुअल-4)

#### नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

##### नीति निर्धारण हेतु

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी को परामर्श / भागीदारी का कोई प्राविधान है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप से प्रस्तुत करें ।

क्र0स0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?(हाँ/नहीं)	जनता कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1	निःशक्त कल्याण की गतिविधियाँ	हाँ	समितियों का गठन 1.निःशक्त जन समर्थता अभियान के तहत गठित समिति 1जिला स्तरीय विकलांग कल्याण तथा विकास समिति सिवनी 2.राष्ट्रीय न्यास के तहत लोकल लेवल कमेटी सिवनी

##### नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधियों से/को परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है? यदि है तो विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र0स0	विषय	कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
			हाँ	राज्य शासन द्वारा संचालित समर्थता अभियान ( निःशक्तजन के शारीरिक उपचार एवं पुनर्वास कार्यक्रम ) की निर्देश पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक 6 के तहत अभियान की समीक्षा एवं समन्वय के लिये जिला स्तरीय समर्थता अभियान क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार गठित है :- 01 - कलेक्टर अध्यक्ष 02 - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य 03 - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य 04 - जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य 05 - परियोजना अधिकारी, जिला श.विकास अभि. सदस्य 06 - सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सदस्य 07 - महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य 08 - जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सदस्य 09 - जिला जनसंपर्क अधिकारी सदस्य 10 - कलेक्टर द्वारा नामांकित निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के 4 पदाधिकारी नामांकित सदस्य 1. श्री अशोक चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष आशादीप विकलांग एवं विकास संगठन, सिवनी 2. श्री एम.आर. पांडे, सचिव -"- 3. श्री एन.एस.बैस,अध्यक्ष, आशाकिरण वेलफेयर संघ डूंडासिवनी 4. डॉ. दिनेश शर्मा सचिव, मंगलम् संस्था सिवनी

			<p>11 – कलेक्टर द्वारा नामांकित विभिन्न निःशक्तताओं के 6 सक्रिय निःशक्त बंधु/ निःशक्तजन/ निःशक्त व्यक्ति के पालक सदस्य</p> <p>1 श्री एम.जी.कुशवहा, जिलाप्रकोष्ठ प्रभारी आई.ई.डी.सी. सिवनी</p> <p>2 श्री आर. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष, आशादीप संगठन सिवनी आमंत्रित सदस्य</p> <p>1 अधीक्षक विशेष गृह सुधारालय सिवनी</p> <p>2. श्री पांडे, मिशन संचालक, सर्व शिक्षा सिवनी</p> <p>3. श्री आर.डी.द्विवेदी, प्रशा.अधि.,जिला चिकित्सालय सिवनी</p> <p>4., मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी</p> <p>13 – उपसंचालक, सामाजिक न्याय सिवनी सचिव</p> <p><b>1. लोकल लेवल कमेटी सिवनी</b></p> <p>1. कलेक्टर अध्यक्ष</p> <p>2. श्री अशोकसिंह चौहान सदस्य</p> <p>3. श्री संतोष अग्रवाल सदस्य (निः शक्त जन)</p> <p><b>3. जिला स्तरीय विकलांग विकास समिति</b></p> <p>1. कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर</p> <p>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी</p> <p>3. डॉ० दिनेश शर्मा आर्थो सर्जन</p> <p>4. श्री अशोक सिंह चौहान,कार्यकारी अध्यक्ष आशादीप विकलांग विकास एवं कल्याण संगठन सिवनी</p> <p>5. श्री सतोष अग्रवाल (अस्थिबाधित निःशक्त जन) प्रो० बाहुवली होटल/लाज बारापत्थर सिवनी</p> <p>6. उपसंचालक, सामाजिक न्याय सिवनी</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## अध्याय- 6 (मैनुअल-5)

### लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों को जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहा उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि सचिव स्तर पर निदेशालय स्तर पर अन्य ( कृपया " अन्य " का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

6.2

क्र० सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणधीन
1	स्थापना	सेवा पुस्तिका, पासबुक वेतनभत्ते	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 एवं 7 में निहित प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी, या सहायक लोक सूचना अधिकारी को विहित रीति में आवेदन प्रस्तुत करने पर	जिला स्तर
2	लेखा	बजट तथा लेखें		जिला स्तर
3	निःशक्त कल्याण/समाज कल्याण	केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख	—'—'	—'—'

### अध्याय- 7 (मैनुअल-6)

#### बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दे।

क्र	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	संस्था का संक्षिप्त परिचय स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य	संस्था की भूमिका, परामर्श दर्ती, / प्रबंध कारिणी / कार्य कारिणी / अन्य	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य
1	2	3	4	5	6
1	आशादीप विकलांग विकास एवं कल्याण संगठन सिवनी पता महाराणा प्रताप नगर डूंडासिवनी	समिति	नेत्रहीन एवं मानसिक बाधित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आशादीप विशेष विद्यालय सिवनी का संचालन स्थापना वर्ष 15. 9.1996	प्रबंधकारिणी एवं कार्यकारिणी	समिति
2.	नूतन महिला कल्याण समिति कालीचौक सिवनी	समिति	नशामुक्ति प्रचार प्रसार स्थापना 26 जनवरी 1980	प्रबंधकारिणी एवं कार्यकारिणी	समिति
3	जिला युवा संधि सिवनी महावीर व्यायाम शाला के पास सिवनी	सिवनी	नशामुक्ति प्रचार प्रसार स्थापना दिसम्बर 2000	प्रबंधकारिणी एवं कार्यकारिणी	समिति
4	दिलखु 1 संस्था सिवनी	सिवनी	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण	प्रबंधकारिणी एवं कार्यकारिणी	समिति

मुख्य अधिकारी का नाम	मुख्य कार्यालय एवं शाखाओं के पते	बैठक की आवृत्ति	क्या बैठक में जनता भाग ले सकते हैं	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दें
7	8	9	10	11	12
श्री अशोकसिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष आशादीप संगठन	मुख्य कार्यालय आशादीप विशेष विद्यालय सिवनी महाराणा प्रताप नगर डूंडासिवनी	आमसभा वार्षिक प्रबंधकारिणी-मासिक	विशेष रूप से आमंत्रित किये जाने पर भाग ले सकते हैं	हाँ	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 एवं 7 में निहित प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी, या सहायक लोक सूचना अधिकारी को विहित रीति में आवेदन प्रस्तुत करने पर
श्रीमति रितु श्रीवास्तव अध्यक्ष नूतन महिला कल्याण समिति सिवनी	कालीचौक सिवनी	आमसभा वार्षिक प्रबंधकारिणी-मासिक	विशेष रूप से आमंत्रित किये जाने पर भाग ले सकते हैं	हाँ	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 एवं 7 में निहित प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी, या सहायक लोक सूचना अधिकारी को विहित रीति में आवेदन प्रस्तुत करने पर
श्री दिलीप नेमा	महावीर व्यायाम	आमसभा	विशेष रूप से	हाँ	सूचना का अधिकार

अध्यक्ष जिला युवा संघि सिवनी	शाला	वार्षिक प्रबंधकारिणी-मासिक	आमंत्रित किये जाने पर भाग ले सकते है		अधिनियम 2005 की धारा 6 एवं 7 में निहित प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी, या सहायक लोक सूचना अधिकारी को विहित रीति में आवेदन प्रस्तुत करन पर
सिस्टर जेसिन सचिव दिलखु I संस्था सिवनी	बडे मि न के पीछे	आमसभा वार्षिक प्रबंधकारिणी-मासिक	विशेष रूप से आमंत्रित किये जाने पर भाग ले सकते है	हाँ	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 एवं 7 में निहित प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी, या सहायक लोक सूचना अधिकारी को विहित रीति में आवेदन प्रस्तुत करन पर

**अध्याय- 8 (मैनुअल-7)**  
**लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ**

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक, लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलैट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप से सूचना प्रस्तुत करें।

**लोक प्राधिकरण का नाम :-** उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला – सिवनी

**सहायक लोक सूचना अधिकारी :-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री अजय गुप्ता	प्रभारी प्रमुख कलाकार	07692	228005	—	—	pswseo@mp.nic.in	कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय सिवनी

**लोक सूचना अधिकारी :-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	सुश्री जे. के. बेदी	प्र0उपसंचालक	07692	228005	9425174996	—	pswseo@mp.nic.in	कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय सिवनी

**विभागीय अपीलैट अथोरिटी :-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री पी.नरहरि	कलेक्टर सिवनी	07692	220444	220301	220990	dmseo@mp.nic.in	कलेक्टर कार्यालय सिवनी

### अध्याय- 9 (मैनुअल-8)

#### निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? सचिवालय मैनुअल और विजीयन मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है ।
- विभाग में लागू सभी अधिनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों एवं तदनुसृत शासन से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/के अनुसार निर्णय लिया जाता है ।
- 9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है? अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?
- लागू अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर विचार किया जाता है ।
- 9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है?
- निः शक्त जन कल्याण संबंधी बैठकों में लिए गये निर्णय कार्यवृत्त तदनुसार पारित आदेश जारी होते हैं । तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किये जाते हैं ।
- 9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों को संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला स्तर पर उपसंचालक,
- 9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी ।
- कलेक्टर/अपर कलेक्टर/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
- 9.5 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	शहरी क्षेत्रांतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत निःशक्त विद्यार्थियों की निःशक्त छात्रवृत्ति स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार
दिशा –निर्देश (यदि हों तो)	निःशक्त छात्रवृत्ति नियम
निर्णय लेने की प्रक्रिया	पात्रता की शर्तों के अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	नहीं
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों को सम्पर्क सूचना	—
निर्णय के विरुद्ध कहा और कैसे अपील करें	कलेक्टर

**अध्याय- 10 (मैनुअल-9)**  
**अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशिका**

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपद वार दे। निरंक

**अध्याय- 11 (मैनुअल-10)**

**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण को पद्धति**  
**माह नवम्बर 2008 की स्थिति में**

11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मासिक वेतन	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता				पारिश्रमिक के निर्धारण को पद्धति जो नियमावली
				महगाई वे०	डी.ए.	एच.आर.	अंतरिम राहत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुश्री जे.के वेदी	पदरिक्त प्रभारी उपसंचालक सामा. न्याय जिला सिवनी	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
1	श्री चूरामन दीवान	सहायक ग्रेड 2	निलंबित					
2	श्री सुखलाल नेमा	सहायक ग्रेड 2	5100	2550	3596	&	1530	
3	श्री संतोषकुमार झारखाडिया	सहा.ग्रे.3	4590	2295	3296	184	1377	
4	श्री विजयकुमार मिश्रा	---	4800	2400	3384	192	1440	
5	श्री केशवप्रसाद यादव	---	4460	2230	3144	178	1338	
6	श्री बीजेन्द्रकुमार सोनी	---	5000	2500	3525	200	1500	
7	श्री मनोज कुमार मेश्राम	---	3950	1975	2785	&	1185	
8	श्री नरेन्द्र कौ ल	कलाकार	4540	2270	3101	&	1362	
8	श्री अजयकुमार गुप्ता	---	4900	2450	3415	196	1470	
9	श्री निरोत्तम सोनी	---	4620	2310	3257	185	1386	
10	श्री विजय तिवारी		4540	2270	3201	182	1362	
11	श्री झारियासिंह मरावी		3725	1863	2626	149	1118	
12	श्री रोमनसिंह मरावी		4110	2055	2841	161	1233	
13	श्री विजयकुमार वाडिवा	वाहन चालक	3425	1713	2415	137	1028	
14	श्री रामानुज पटेल	वा.स्वच्छक	2900	1450	2002	&	870	
15	श्री हेमराज उडके	भृत्य	3540	1770	2496	139	1062	
16	श्री शेषराम बघेल	---	3540	1770	2496	139	1062	
17	श्री दिनेश सरेठा	---	3200	1600	2256	128	960	
18	श्री भोख सादिक मंसूरी	---	3200	1600	2256	128	960	
19	अ गोक पंचे वर	चौकीदार	3195	-	-	-	-	-
			कलेक्टर दर					

**अध्याय- 12 (मैनुअल-11)**  
**प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट**  
**(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण को सूचना)**

निर्माण, विकास तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरण के लिये

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट को सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण को सूचना हो, निम्न प्रारूप में दे।

**वर्ष 2008-09**

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य समापन को अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किशतो में	कुल व्यय	कार्य को गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी

**अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये :- वित्तीय वर्ष 2008-09**

क्र. सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतो में)	कुल व्यय माह 11/08
1	(1)मांग संख्या 34 शीर्ष 2235 नानप्लान निर्देशानुसार/प्र 01 वेतन भत्ते आदि (2)मांग संख्या 34 शीर्ष 2235 नानप्लान कलापथक 01 वेतन भत्ते आदि (3)मांग संख्या 34 शीर्ष 2235 नानप्लान दृश्यश्राव्य योजना 01 वेतन भत्ते आदि		1607600 501600 193300	पूरे वर्ष के लिये --" --"	1029010 107870 109884
3	<b>योजना</b> मांग संख्या 34 शीर्ष 2235 नशाबंदी विश्व विकलांग वर्ष अ ग्रासकीय संस्थाओं का अनुदान अंपगों तथा विकलांगों की सहायता के लिये अनुदान (कृत्रिम अंग एवं छात्रवृत्ति)		निल 7000 300000 677000	पूरे वर्ष के लिये --" --"	निल 7000 निल 350000

**अध्याय- 13 (मैनुअल-12)**  
**अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को रीति**

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराए ।

- कार्यक्रम/योजना का नाम
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा
- कार्यक्रम का उद्देश्य
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- लाभार्थी को पात्रता
- पूर्वापेक्षाएँ
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- पात्रता निश्चित करने लिये मानदण्ड
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान को राशि का विवरण हो)
- अनुदान /सहायता के वितरण को प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करे
- आवेदन शुल्क (जहा उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहा उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताए कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)
- संलग्नकों सूची
- संलग्नको प्रारूप
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर काह सम्पर्क करे
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर ब्लाक स्तर पर इत्यादि)
- लाभार्थियों को सूची (निम्न प्रारूप)

**निःशक्त छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना का उद्देश्य निःशक्त छात्र छात्राओं को शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना है।

**क्रियान्वयन** – सभी वर्गों के ऐसे निःशक्त छात्र छात्रायें जो पूर्व प्राथमिक शाला से आगे स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं/व्यवसायिक में नियमित रूप से शिक्षण / प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राओं की विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राओं की विकलांग छात्रवृत्ति उपसंचालक सामाजिक न्याय द्वारा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है।

क्र०	भौक्षणिक स्तर	छात्रवृत्ति राशि प्रतिमाह	
		बालक प्रतिमाह	बालिका प्रतिमाह
1	प्राथमिक स्तर	25 / -	35 / -
2	माध्यमिक स्तर	30 / -	40 / -
3	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग	110 / - (दैनिक) 500 / - (छात्रावासी)	120 / - (दैनिक) 500 / - (छात्रावासी)
4	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर अजा/अजजा	60 / - (दैनिक) 50 / - (छात्रावासी)	60 / - (दैनिक) 60 / - (छात्रावासी)

5	स्नातक शिक्षा स्तर सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग	250/- (दैनिक) 500/- (छात्रावासी)	250/- (दैनिक) 500/- (छात्रावासी)
6	स्नातक शिक्षा स्तर अजा/अजजा वर्ग	65/- (दैनिक) 60/- (छात्रावासी)	65/- (दैनिक) 60/- (छात्रावासी)
7	स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग	300/- (दैनिक) 525/- (छात्रावासी)	300/- (दैनिक) 525/- (छात्रावासी)
8	स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर अजा/अजजा वर्ग	60/- (दैनिक) 50/- (छात्रावासी)	60/- (दैनिक) 50/- (छात्रावासी)

**पात्रता** – इस योजना के तहत 6 से 21 वर्ष की आयु के 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तताग्रस्त छात्र/छात्राए जो विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, तथा निःशक्तजन के माता पिता/अभिभावक की मासिक आय रुपये 96000/- से अधिक नहीं है।

### निःशक्त जनों को कृत्रिम उपकरण प्रदाय योजना

#### उद्देश्य

दृष्टिहीन, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित, निःशक्त व्यक्तियों के शारीरिक दोष दूर करने के लिए विशेष साधन/उपकरण निःशुल्क प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे निःशक्त जन जिनकी वार्षिक आय 24000/- से अधिक न हो उन्हें रुपये 2000/- तक के मूल्य के उपकरण दिये जा सकते हैं जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तताग्रस्त हैं।

#### कियान्वयन

इस योजना के अंतर्गत दृष्टिहीन श्रवण बाधित अस्थि बाधित, निःशक्तजनों को उनकी निःशक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर डा. की सलाह पर प्रत्यारोपण कैलिपर्स जूते, बैसाखी, ट्राइसिकल, एवं श्रवण यंत्र आदि उपकरण/साधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला /गाँव	मकान नं०
क्र. / / नि.क.छात्रवृत्ति / 2008-09 दिनांक 16 / 10 / 2008	सूची अनुसार	2008-09	सूची अनुसार	सिवनी	सिवनी	-	-

**योजना का नाम – विकलांग छात्रवृत्ति सूची अनुसार  
वर्ष 2008-09**

**कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय, सिवनी  
आदेश**

क्र./ /नि.क./छात्रवृत्ति/2007-08

सिवनी, दिनांक /12/2008

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./एफ 3-129/2007/26-2 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2008 द्वारा निःशक्त छात्रवृत्ति स्वीकृति संबंधी जारी निर्देश के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी के पुर्नबंदिट ओदश क्रमांक/नि.क./08 सिवनी दि. 23.10.2008 द्वारा पुर्नबंदिट आदेश रूपयें 80,000=00 में सं शहरी क्षेत्र के विद्यालय/महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र निःशक्त छात्र/छात्राओं को वर्ष 2008-09 की निःशक्त छात्रवृत्ति राशि निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है।

**सूची**

क्र.	निःशक्त छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, अध्ययनरत कक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	जाति	निःशक्तता का प्रकार/ प्रतिशत	छात्रवृत्ति राशि की मासिक दर	अवधि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कु.गीता/रामप्रसाद नायक बी.कॉम प्रथम वर्ष शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी।	पि.वर्ग	अस्थित 50 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
2	कु.तरन्नुम तसलीम/हमीद अहम्मद खान बी. एस.सी. प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थित 50 प्रतिशत	250.00	10 माह	250.00
3	सतनारायण/रेवाराम जवेरे बी.ए. प्रथम वर्ष प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय सिवनी	अजा	अस्थित 48 प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
4	तेज कुमार/मेहतरसिंह उड्डके बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अजजा	अस्थि 60 प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
5	प्रमोद राय/गोविन्द राय बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 50 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
6	मनोज कुमार/ईश्वरीप्रसाद बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 90प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
7	कु.शिखा वर्मा/राजेन्द्र बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 80 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
8	शिवराम/कुन्दनलाल यादव बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
9	नेतराम/भुवनलाल बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अजा	अस्थि 40 प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
10	कु.प्रिया/मनोज कुमार बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 50 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00

11	अशोक/रमेश कुमार बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अजजा	अस्थि 50प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
12	सुरजन/गनीलाल बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अजजा	अस्थि 60प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
13	शेरसिंह/नान्हो रजक बी.ए.तृतीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिवर्ग	दृष्टि 40प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
14	शिवकुमार/बसोडी बी.ए.तृतीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 70प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
15	सादमा/एफ.एफ.खान एम.एससी. प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	सामान्य	अस्थि 40प्रतिशत	300.00	10 माह	3000.00
16	अनीश/गोपनिरंजन दुबे एम.ए. प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	सामान्य	अस्थि 60प्रतिशत	300.00	10 माह	3000.00
17	नीलम/गोर्वधन एम.ए. प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 60प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
18	शिवकुमार/महेश प्रसाद एम.ए. प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 50प्रतिशत	300.00	10 माह	3000.00
19	अम्मीलाल/थम्मनसिंह एम.ए.प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अजा	अस्थि 60प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
20	कैलाश/मुनीम एम.ए.फाईनल प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अजजा	अस्थि 90प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
21	महेश/हरिशचंद शिवने एम.ए.फाईनल प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 40प्रतिशत	300.00	10 माह	3000.00
22	अब्दुल जावेदखान/अ.हकखान एम.ए.प्रथम वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 70प्रतिशत	300.00	10 माह	3000.00
23	रामकिशोर/खुमानसिंह बी.ए. द्वितीय वर्ष प्रा.स्ना. महाविद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 60प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
24	रामकृष्ण/माधव प्रसाद बी.ए. तृतीय प्रा.स्ना.महाविद्यालय सिवनी।	अजा	अस्थि 40प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
25	प्रतिभा ठाकुर/रामेश्वर ठाकुर बी.ए.द्वितीय वर्ष प्रा.शास. स्ना. महाविद्यालय बरघाट	पि.वर्ग	अस्थि 80प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
26	दिलीप/किशनलाल एम.एससी. प्रथम वर्ष प्रा.स्ना.महाविद्यालय सिवनी।	अपिवर्ग	अस्थि 60प्रतिशत	300.00	10 माह	3000.00
27	कैलाश/रामदास ठाकरे फिटर प्रा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
28	हरदयाल/डेलनसिंह मर्सकोले आटोमोबाईल प्रा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी	अजजा	अस्थि 40प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
29	धनजंय/शिवनारायण सनोडिया आटोमोबाईल प्रा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी	अपिवर्ग	अस्थि 42 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
30	ओमकुमार/नंदलाल डहरवाल आटोमोबाईल प्रा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी	अजजा	अस्थि 40प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
31	रंजीता/हीरालाल डोगरे आटोमोबाईल प्रा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी	अजजा	अस्थि 60प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00

32	डिलेन्द्र / देवेन्द्र बिसेन ड्राफ्ट्समेन प्रा.ओघोगिक प्रशिक्षण संस्था सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
33	यशपाल / पूरनलाल मैकेनिकल प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
34	सत्तेन्द्र / नरसू मैकेनिकल प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 50प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
35	दिनेश / डिल्ली सिंह प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 60प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
36	चन्दा पाण्डे / त्रिलोकीनाथ प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	सामान्य	दृष्टि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
37	जितेन्द्र / गनपत राव प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	दृष्टि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
38	प्रवीण / दीपचंद प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अजा	अस्थि 45प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
39	आशीष / टेकलाल प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
40	प्रकाश / पूनाराम प्रा.शा.पॉली.महाविद्यालय सिवनी	अजा	अस्थि 45प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
41	कौशल्या / गेंदलाल चौधरी बी.ए.फाईनल प्रा.शास.स्नो.विद्यालय बरघाट	अपिर्वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
42	हरिप्रसाद / शिवप्रसाद चौधरी बी.ए.प्रथम वर्ष प्रा.शा.स्नो.विद्या. बरघाट	अजा	दृष्टि 100 प्रतिशत	65.00	10 माह	650.00
43	राधिका / नारायण बी.ए.प्रथम वर्ष प्रा.शा.स्नो.विद्या. बरघाट	अपिर्वर्ग	दृष्टि 50 प्रतिशत	250.00	10 माह	2500.00
44	सरिता / सरूपचंद कक्षा 11 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.क.उ.मा.विद्या. सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 48प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
45	सुनिता / चूरामन कक्षा 09 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.क.उ.मा.विद्या. सिवनी	अजजा	अस्थि 50 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
46	सोनम / गनीखान कक्षा 12 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.क.उ.मा.विद्या. सिवनी	सामान्य	अस्थि 40 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
47	पुष्पा / फंगीलाल कक्षा 12 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.क.उ.मा.विद्या. सिवनी	अजा	अस्थि 40 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
48	ललिता / राजकुमार कक्षा 12 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.क.उ.मा.विद्या. सिवनी	अजा	अस्थि 40 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
49	साधना / टीकाराम कक्षा 12 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 50 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
50	शर्मिला / गनपत कक्षा 12 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
51	सरिता / ब्रिजलाल कक्षा 11 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 50 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
52	चादनी / श्यामलाल कक्षा 11 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 80 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
53	सुमन / मंगलप्रसाद कक्षा 10 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00

54	सुनीता/चूरामन कक्षा 10 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अजजा	अस्थि 50 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
55	सरिता/सरूपचंद्र कक्षा 11 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 48 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
56	पुष्पा/महादेव कक्षा 09 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00
57	सुर्मिला/देवीप्रसाद कक्षा 12 वी प्रा.म.लक्ष्मी.बा.उ.मा.वि.सिवनी	अजजा	दृष्टि 40 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
58	मो.सैफ खान/युनुस कक्षा 4 वी प्रा.शा.हिन्दी मेन बोर्ड शाला सिवनी	सामान्य	अस्थि 40 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
59	नदीम शाह/सलीम शाह कक्षा 3 री प्रा.शा.हिन्दी मेन बोर्ड शाला सिवनी	सामान्य	अस्थि 60 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
60	इमरान/चादखा कक्षा 1 ली प्रा.शा.हिन्दी मेन बोर्ड शाला सिवनी	सामान्य	अस्थि 60 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
61	हितेश/शोरसिंह कक्षा 5 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	पि.वर्ग	दृष्टि 40 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
62	विनोद/भगवानदास कक्षा 5 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	पि.वर्ग	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
63	पंजी/अमरू कक्षा 4 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अजजा	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
64	दिनेश/लखन कक्षा 4 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अजजा	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
65	दिवेश/लखन कक्षा 4 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अजजा	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
66	राधेश्यम/महेश कक्षा 3 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अजजा	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
67	सुभाष/चैनसिंह कक्षा 2 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अपिर्वर्ग	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
68	धरमवीर/रामस्वरूप कक्षा 2 री प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अपिर्वर्ग	दृष्टि 75 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
69	भूपेन्द्र/रामस्वरूप कक्षा 2 वी प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अपिर्वर्ग	दृष्टि 75 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
70	पुरुषोत्तम/चन्दूदास कक्षा 2 री प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अपिर्वर्ग	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
71	सुरेन्द्र/बसंत कुमार कक्षा 2 री प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अजजा	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
72	आकाश/तुलसीराम सेन प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	अपिर्वर्ग	दृष्टि 75 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
73	परमजीत /धरम कुमार प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	पि.वर्ग	दृष्टि 100 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
74	अनमोल/महेश साहू प्रा.आशादीप विशेष विद्या. सिवनी	पि.वर्ग	दृष्टि 40 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
75	पूजा/सुधीर सोमलवार कक्षा 9 वी मिशन उच्च.मा. विद्यालय सिवनी	सामान्य	अस्थि 80 प्रतिशत	120.00	10 माह	1200.00

76	हेमलता/घूरमा कक्षा 9 वी प्रा.म.ल.बा.क.उ.मा.विघा. सिवनी	अजजा	अस्थि 52 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
77	संतोषी/रामदास भलावी कक्षा 9 वी प्रा.म.ल.बा.क.उ.मा.विघा. सिवनी	अजजा	अस्थि 52 प्रतिशत	60.00	10 माह	600.00
78	वसुन्धरा/प्रहलाद कक्षा पहली लिटिल फलावर कान्चेट बारापत्थर सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	35.00	10 माह	350.00
79	रेशम/शबिर खा कक्षा सातवी शास.क.हा.स्कूल मठ मंदिर सिवनी	सामान्य	अस्थि 90 प्रतिशत	40.00	10 माह	400.00
80	मिथुन कुमार/मलेसिया कक्षा चौथी शास.प्रा.शा. गंगानगर सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
81	विक्की/रमेश बघेल कक्षा दूसरी शास.प्रा.शा. गंगानगर सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 80 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
82	रोहित/मनोज कुमार सोनी कक्षा तीसरी शास.प्रा.शा. गंगानगर सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 50 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
83	गीता/नंदकिशोर साहू कक्षा तीसरी शास.प्रा.शा. गंगानगर सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 70 प्रतिशत	35.00	10 माह	350.00
84	राजनंदनी/सुशीला कक्षा चौथी एवरग्रीन नर्सरी स्कूल सिवनी	अपिर्वर्ग	अस्थि 70 प्रतिशत	35.00	10 माह	350.00
85	मो. दानिश/मो.इरशाद कक्षा पाचवी शास.प्रा.शाला अम्बेडकर सिवनी	सामान्य	अस्थि 40 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
86	अनवर/हनीब कक्षा पहली शास.प्रा.शाला अम्बेडकर सिवनी	सामान्य	अस्थि 90 प्रतिशत	25.00	10 माह	250.00
87	रमनकुमार/वीरसिंह सनोडिया कक्षा 6 वी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 60 प्रतिशत	30.00	10 माह	300.00
88	राजेश/चैनसिंह यादव कक्षा 7 वी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 50 प्रतिशत	30.00	10 माह	300.00
89	संतोष/चमरू कक्षा सातवी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 60 प्रतिशत	30.00	10 माह	300.00
90	सोहित/कैलाशनारायण शर्मा कक्षा 9 वी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	सामान्य	अस्थि 50 प्रतिशत	110.00	10 माह	1100.00
91	राजकुमार/रविसिंह सनोडिया कक्षा दसवी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 90 प्रतिशत	110.00	10 माह	1100.00
92	रामप्रसाद/सूरज वर्मा कक्षा 11 वी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	110.00	10 माह	1100.00
93	मनोज/शंकरलाल बघेल कक्षा 11 वी शास.तिलक उ.मा.विद्यालय सिवनी	पि.वर्ग	अस्थि 40 प्रतिशत	110.00	10 माह	1100.00
					महायोग	107000. 00

(रूपये- एक लाख सात हजार रु. मात्र )

- 
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, के तहत सिवनी जिले के 603 मानसिक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक संरक्षक बनाये गये है।

**भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से निःशक्त कल्याण योजनांतर्गत केन्द्रीय अनुदान आवेदन हेतु चेकलिस्ट**

1. भारत सरकार की विषयांकित योजना के अनुरूप निर्धारित अनुदान आवेदन पत्र अद्यतन स्थिति में
2. संस्था को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मान्यता का प्रमाण पत्र संलग्न हो,
3. निःशक्त व्यक्ति अधिनियमि 1995 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त हो,
4. रजिस्ट्रार फमर्स एवं सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अनुमोदित नियमावली की प्रति
5. राजपत्रित अधिकारी की चालू वित्तीय वर्ष की अद्यतन निरीक्षण टीप
6. चार्टर्ड एकाउंटेंट से संस्था की विगत तीन वर्षों की अंकेक्षण प्रतिवेदन
7. वका वार्षिक प्रतिवेदन
8. संस्था के कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची,
9. संस्था द्वारा प्रस्तावित संचालित कार्यक्रम की रूपरेखा तथा परियोजना का पूर्ण विवरण
10. चिन्हित लाभान्वितों की सूची संलग्न हो,
11. प्रस्तावित अनुदान का विस्तार से बजट विवरण मदवार विवरण उदाहरणार्थ अमले का वेतन, भवन किराया, भवन निर्माण, फर्नीचर उपकरणों का मूल्य, सहायक उपकरणों के नाम, प्रस्तावित मूल्य संस्था तथा अनुमानित व्यय का विवरण संलग्न हो,
12. संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का दिनांक एवं पते सहित जिसमें कितने कैम्प आयोजित किये गये तथा उनमें कितने निःशक्तों को कृत्रिम उपकरण अंग वितरित किये गये आदि जानकारी का व्यौरा हो
13. प्रस्ताव विभागीय जिला अधिकारी द्वारा सत्यापित हो,
14. कर्मचारियों की सूची
15. संस्था के सचिव/अध्यक्ष के बारे में संक्षिप्त टीप
16. पूर्व में स्वीकृत अनुदान का स्वीकृति आदेश
17. पूर्व वर्ष में यदि अनुदान स्वीकृत हुआ हो तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र
18. विभागीय जिला अधिकारी की अनुशंसा
19. भारत सरकार के आरक्षण प्रावधान का पालन किये जाने बाबत प्रमाण पत्र

**अध्याय- 14 (मैनुअल-13)**

**रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण**

कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराए।

- कार्यालय का नाम – उपसंचालक, सामाजिक न्याय, सिवनी
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) – रियायत
- उद्देश्य – निःशक्त व्यक्तियों को वृत्तिकर से छूट प्रदान करना
- लक्ष्य (विगत वर्ष में) –
- पात्रता – 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता ग्रस्त
- पात्रता का आधार – निःशक्त व्यक्तियों को जिला चिकित्सक मंडल सिवनी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र
- पूर्वापेक्षाए –
- प्राप्त करने की प्रक्रिया – उपसंचालक सामाजिक न्याय सिवनी को आवेदन प्रस्तुत करने पर
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निर्धारित समय सीमा :- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए
- आवेदन शुल्क :- निरंक
- संलग्नको सूची
- संलग्नको का प्रारूप
- प्राप्तिकर्ताओं को सूची (निम्न प्रारूप पर )

**अध्याय- 15 (मैनुअल-14)**  
**कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम**

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों कार्यक्रमों के सपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध कराये।

निःशक्त कल्याण :-

निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 प्रदेश में प्रभावशील है ! अधिनियम के तहत पृथक से आयुक्त निःशक्त कार्यालय की स्थापना की गई है । जिला स्तर पर कलेक्टर को अपर आयुक्त निःशक्त जन बनाया गया है ।

निःशक्त व्यक्तियों को उपचार, शिक्षण-प्रशिक्षण, रोजगार पुनर्वास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही है ।

1 -दीन दयाल समर्थ -2004 कार्ययोजना :-

मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास व उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से दीनदयाल समर्थ 2004 कार्ययोजना प्रदेश में 25 सितम्बर 2004 से क्रियान्वित की जा रही है । इस कार्ययोजना में विभिन्न विभागों को बंटन एवं उनके कार्यक्रमों को एकीकृत किया गया है । इस कार्ययोजना के तहत जिले में निःशक्त जन समर्थता अभियान संचालित है ।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान :-

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान योजनांतर्गत जिले में निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में एक विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था आशादीप विकलांग विकास एवं कल्याण संगठन सिवनी कार्यरत है । इस संस्था के माध्यम से नेत्रही एवं मानसिक बाधित निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आशादीप विशेष विद्यालय सिवनी का संचालित है ।

भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनांतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण पुनर्वास से संबंधित अनुदान आवेदन पत्र भारत सरकार को अनुशंसा /मत सहित प्रेषित किये जाते हैं ।

3-निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण:-

कक्षा पहली से आगे उच्च शिक्षा में अध्ययनरत निःशक्त नियमिति छात्र तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा पात्रतानुसार निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है । निःशक्त बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के लिए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की गई है ।

4-कृत्रिम उपकरणों का वितरण :-

निःशक्त व्यक्तियों की पहचान कर उनकी शल्य चिकित्सा, कृत्रिम उपकरण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास शिविरों का आयोजन किया जाता है ।

5-निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु त्रण सुविधा :-

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए कम व्याज दर पर त्रण उपलब्ध कराया जाता है । निःशक्त महिलाओं को स्वरोजगार हेतु दिये जाने वाले त्रण के व्याज दर में एक प्रतिशत रियायत दी गई है ।

6-रीजनल स्पाईनल इन्जुरी सेटर :-

मेरुदंड से प्रभावित तथा अस्थिबाधितों के उपचार एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जबलपुर के मेडिकल कालेज परिसर में केन्द्र की स्थापना की गई है ।

7-विश्व विकलांग दिवस का आयोजन

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है । विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला /संभाग/राज्य स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों के खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, ताकि निःशक्त व्यक्तियों को सामर्थ्य प्रदर्शन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके ।

## 8—अन्य कार्यक्रम :-

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवंनिर्धन व्यक्तियों की सहायताअधिनियम 1970 के तहत म0प्र0 निराश्रित एवंनिर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम बनाये गये है । इस अधिनियम के अंतर्गत कृषि उपज क्रेताओं से संग्रहित निराश्रित शुल्क की राशि का निराश्रितों पर व्यय प्रावधानित किया गया । नियमों में निराश्रितों के लिए आश्रमों की स्थापना ,ऐसे निराश्रित जो फुटपाथ पर रात व्यतीत करते हो उन्हें रात्रि गुजारने के लिए रैन बसेरा,दिवा केन्द्र की स्थापना ,निराश्रिता बच्चों के लिए रहवासी अथवा गैर रहवासी विशेष शालाओं की स्थापना तथा निराश्रितों एवं निर्धनों के लिए रोजगोरोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है ।इसके अतिरिक्त निराश्रित निधि का उपयोग निराश्रितों के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला सेमीनार प्रदर्शन, चलित इकाईयों की स्थाना समुदाय आधारित पुनर्वास योजना आदि के लिए किया जाना भी प्रावधानित कियागया है ।

## 9—मद्यनिषेध योजना :-

शराब,मादक पदार्थों व द्रव्यों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा कलापथक दल ,सांस्कृतिक संगठनों, कला मण्डलियों,चलचित्र इकाईयों, स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित कर प्रचार प्रसार के माध्यम से नशाबंदी के पक्ष में वातावरण निम्नण करने के कार्यक्रम संचालित किये जाते है । ग्रामीण क्षेत्रों में मद्यनिषेध का कार्य पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज की संस्थाओं को सौपा गया है । मद्यनिषेध /नशाबंदी के सघन प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर नशाबंदी मण्डल के गठन का प्रावधान है ।

## 10—कलापथक योजना :-

जिले के सूदूर अंचलों में लोक नाट्य एवं लोकगीत के माध्यम से शासन की कल्याणकारी नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचान के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक कलापथक इकाई कार्यरत है । प्रत्येक इकाई में एक प्रमुख कलाकार तथा 7 सहायोगी कलाकार कार्यरत है । प्रत्येक दल के लिए प्रतिमाह 12 कार्यक्रम देने का लक्ष्य निर्धारित है । कलापथक दल द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर जैसे दहेज प्रथा ,मद्यपान ,18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह,छूआछूत,परिवार नियोजन ,विकलांगता,वनसंरक्षण,जल संवर्धन, कुपोषण से बचाव एवं एडस पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित कर जनजागरण कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है ।

## 11—पुस्तकालय एवं वाचनालय योजना :-

प्रदेश में 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज की स्थापना की गई है । इसी अनुक्रम में वाचनालय तथा पुस्तकालय हेतु पंचायतों तगि ग्राम सभाओं को दियेजाने वाले सहायक अनुदान संबंधी नियम 2001 बनाये गये है । इन नियमों के तहत उपलब्ध बंटन का 75 प्रतिशत ग्राम पंचायत/ग्राम सभाओं को, 20 प्रतिशत जनपद पंचायतों को तथा 5 प्रतिशत जिला पंचायतों को सौपने का प्रावधान है । पंचायते ग्रामोपयोगी पुस्तके तथा दैनिक समाचार पत्र /पत्रिकाओं का चयन एवं क्रय करने हेतु स्वतः सक्षम है ।

## 12—दूरदर्शन योजना :-

ग्रामीण जनता को अधिकाधिक मनोरंजन,ज्ञानवर्धन एवं अन्य सामान्य जानकारी शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों को टी.व्ही.सेट क्रय करने के हेतु सहायकअनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 100 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000/- एवं सामान्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 3750/- का सहायक अनुदान दिया जाकर टी0व्ही0 सेटस उपलब्ध कराये गये है ।

सामाजिक न्याय विभाग निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का सतत कियान्वयन करता है ।सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने,इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढावा देने और सामाजिक न्याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग की है ।

**अध्याय- 16 (मैनुअल-15)**  
**इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ**

- 16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करे जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो ।  
पेंशन योजना,परिवार सहायता,निःशक्त छात्रवृत्ति,उपकरण वितरण की डाटा एन्ट्री कम्प्यूटराईज्ड है ।

**अध्याय- 17 (मैनुअल-16)**

**सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण**

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण जैसे:-
- पुस्तकालय कक्षांक 1 से 8 तक उल्लेखित सभी माध्यमों से
  - नाटक/नुक्कड़
  - अखबारों के द्वारा
  - प्रदर्शनी
  - सूचना पटल
  - अभिलेखों का निरीक्षण
  - दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
  - उपलब्ध विभागीय मैनुअल
  - लोक प्राधिकरण को वेबसाईट फैंक्स क्र 228005
  - अन्य प्रचार प्रसार के साधन

**अध्याय- 18 (मैनुअल-17)**

**अन्य उपयोगी जानकारियाँ**

- 18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर
- 18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में
- आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिये एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)
  - शुल्क
  - सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मागी जाये - कुछ टिप्स
  - सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिकों के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया ।
- 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण
  - प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा
  - प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
  - प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य विगत वर्ष में
  - लाभार्थी को पात्रता
  - पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो तो)
  - अनुदान/सहायता (यदि हो तो )

- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो )
  - अनुदान /सहायता के वितरण को प्रक्रिया
  - आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करे
  - आवेदन शुल्क (जहा उचित हो )
  - अन्य शुल्क (जहा उचित हो)
  - आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे )
  - संलग्नको सूची
  - संलग्नको का प्रारूप
  - आवेदन करने की प्रक्रिया
  - चयन प्रक्रिया
  - प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका
  - प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य
  - विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर ब्लाक स्तर, इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों को सूची तथा अन्य विवरण ।
- 18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो को मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हो
- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण
  - प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता
  - आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करे।
  - आवेदन शुल्क (जहा उचित हो )
  - अन्य शुल्क (जहा उचित हो)
  - आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)
  - संलग्नको को सूची
  - संलग्नको का प्रारूप
  - आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहा पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएँ पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
  - आवेदन को सारी प्राथमिकताएँ सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिये निर्धारित समय अवधि
  - प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हा तो )
  - नवीनीकरण को प्रक्रिया (यदि हा तो )
- 18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में
- पंजीयन का उद्देश्य
  - आवेदक को पात्रता
  - पूर्वापेक्षाएँ
  - आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करे
  - आवेदन शुल्क (जहा उचित हो)
  - अन्य शुल्क (जहा उचित हो)
  - आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे )
  - संलग्नको सूची

- संलग्नको का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
- प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हों तो )
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो )

18.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टेक्स लेने के संबंध में

- टेक्स का नाम व विवरण
- टेक्स लेने का उद्देश्य
- टेक्स निर्धारण करने के लिये मापदण्ड व प्रक्रिया
- बडे डिफाल्टर्स की सूची

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन की अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका/नगरपरिषद /यू.पी.सी.एल. द्वारा दी जा सकती है।

- आवेदक की पात्रता
- पूर्वापेक्षाए
- आवेदक को पात्रता
- पूर्वापेक्षाए
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करे
- आवेदन शुल्क (जहा उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहा उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे )
- संलग्नको सूची
- संलग्नको का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होनेवाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा साथ प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
- बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण
- बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की सतिथ में सम्पर्क सूचना
- टेरिफ तथा अन्य देय

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

### विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाएं

जो व्यक्ति भारीरूप से असमर्थ होते हैं ऐसे ही पीड़ितजनों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर स्वावलम्बी जीवन जीने योग्य बनाने हेतु म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इन्हें कई सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विकलांग कल्याण योजना के तहत अस्थि बांधित दृष्टिबांधित, श्रवण बांधित और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण उपचार पुनर्वास एवं रोजगार उपलब्ध कराने की योजना/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने का दायित्व शासन ने ग्राम सभा पंचायत नगर पालिका, नगर निगमों को सौंपा है। शासन के कल्याणकारी हाथ विकलांगों के साथ है। विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाएँ निम्नवत् हैं :-

- 01 - विकलांग बालकों एवं वयस्क विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, चिकित्सा एवं रोजगार के लिये शासकीय विकलांग कल्याण स्थापित कर संचालित की जा रही है।
- 02 - विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय समाज सेवी संस्थाओं को मान्यता देकर विकलांगों के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिये सहायक अनुदान दिया जाता है।
- 03 - नियमित अध्ययनरत विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- 04 - विकलांग बालकों एवं वयस्कों को कृत्रिम अंग निःशक्त उपलब्ध कराये जाते हैं।
- 05 - विकलांग कर्मचारियों के वाहनो को रोड टेक्स की माफी दी गई है।
- 06 - विकलांग कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अधिकतम नियमानुसार मासिक वाहन भत्ता दिया जाता है।
- 07 - शासकीय सेवा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त पर नियुक्ति के लिये विकलांगों के लिये तीन प्रतिशत का आरक्षण है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी व्याख्यता के पदों पर विकलांगों के लिये तीन प्रतिशत आरक्षण है।
- 08 - विकलांगों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र 10 वर्ष की छूट दी गई है।
- 09 - हाथों की अपंगता वाले विकलांगों को सेवा में मुद्रलेखन की परीक्षा से छूट दी गई है।
- 10 - प्रतियोगी परीक्षाओं में दृष्टिबाधित विकलांग प्रतिभागियों को 10 प्रतिशत तक बोनस अंक की छूट की सुविधा दी गई है।
- 11 - दृष्टिहीन विद्यार्थियों को परीक्षा में राइटर की सुविधा दी जाती है।
- 12 - दृष्टिहीनों को राज्य परिवहन की बसों में 75 प्रतिशत किराये की छूट दी जाती है।
- 13 - दृष्टिहीन विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें देने के लिये बिलासपुर में एक ब्रेल प्रेस स्थापित किया गया है।
- 14 - विकलांग बालकों के लिये एकीकृत शिक्षा योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- 15 - उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में दृष्टिहीनों एवं मूक-बधिरों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
- 16 - शासकीय सेवा में आने पर निःशुल्क मेडिकल जांच की विशेष सुविधा दी गई है।
- 17 - निराश्रित विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है।
- 18 - निःशक्त जनो को वृत्ति कर से छूट प्रदान की गई है।

**उपसंचालक  
सामाजिक न्याय  
जिला सिवनी**